संख्या- 23/2019/387/क0नि0प्र0/26-3-2019-15(38)/2015

प्रेषक,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊः दिनांक:10 अप्रैल,2019
समाज कल्याण विभाग

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक समाज कल्याण के पत्रांक- 2813/स0क0 /विकास/सन्तकबीर नगर/सब-प्लान( )/2018-19 दिनांक 25 फरवरी, 2019, एवं पत्रांक- 2833/स0क0/विकास/सिद्धार्थ नगर/(131)/2018-19 दिनांक 25 फरवरी, 2019, तथा पत्रांक- 3140/स0क0 /विकास/सन्तकबीर नगर( )/2018-19 दिनांक 29 मार्च, 2019, के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या- 14/2018/482/क0नि0प्र0/ 26-3-2018-15(38)/2015 दिनांक 28 मार्च,2018 एवं शासनादेश संख्या- 16/2018/484/क0नि0प्र0/26-3-2018-15(38)/2015 दिनांक 28 मार्च,2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद सन्तकबीर नगर के विकास खण्ड- खलीलाबाद के ग्राम- सिरमोहनी, तेनुआराय, बैरमपुर, चकपिहानी एवं सरौली चहारून तथा जनपद-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सिद्धार्थ नगर के विकास खण्ड- मिठवल के ग्राम- घुमची में स्वीकृत/अनुमोदित कार्यो के सापेक्ष रू0 485.82 लाख (रू0 चार करोड़ पच्चासी लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि अधूरे अवशेष कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद- सन्तकबीर नगर (धन0 लाख रू0 में)

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीक्रति	आवंटित प्रथम किश्त	आवंटित की जा रही द्वितीय किश्त
1	2	3	4	5	6
खलीलाबाद	सिरमोहनी	इण्टर लाकिंग सामुदायिक केन्द्र का निर्माण, सोलर लाइट का कार्य	87.27	21.80	65.47
	तेनुआराय	इण्टर लाकिंग सामुदायिक केन्द्र का निर्माण, सोलर लाइट का कार्य	58.90	14.70	44.20
	वैरमपुर	इण्टर लाकिंग सामुदायिक केन्द्र का निर्माण, सोलर लाइट का कार्य	69.81	17.20	52.61
	चक पिहानी	पिच रोड लेपन स्तर तक /आर0सी0सी0 पुलिया निर्माण	116.27	28.00	88.27
	सरौली चहारून	इण्टर लाकिंग सामुदायिक केन्द्र का निर्माण, सोलर लाइट का कार्य	92.31	23.00	69.31
		कुल योग-	424.56	104.70	**319.86**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जनपद- सिद्धार्थनगर

मिठवल	घुमची	इण्टर लाकिंग एवं नाली निर्माण का कार्य	190.96	25.00	165.96
		कुल महायोग-	615.52	129.70	485.82

(रू0 चार करोड़ पच्चासी लाख बयासी हजार मात्र)

1- उक्त स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले अवशेष कार्यो हेतु स्वीकृत आंगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांस्टक्शन इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (सिडको) से कार्य कराया जायेगा।

2- निदेशक,समाज कल्याण द्वारा उक्त धनराशि आहरित कर प्रबन्ध निदशेक सिडको को उपलब्ध करायी जायेगी ताकि कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांस्टक्शन इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (सिडको) से अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जा सके तथा प्रयोजना के निर्माण के बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए निर्माण इकाई उत्तरदायी होगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस.सी.एस.पी./ टी.एस.पी. हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों तथा योजना संचालन संबंधी निर्गत शासनादेश संख्या-664/ क0नि0प्र0/26-3-2014-13(62)/2013 दिनांक 24 सितम्बर, 2014 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि के व्यय के संबंध में वर्तमान में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के अन्तर्गत निर्धारित दिशा-निदेर्शो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी/ सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

6- संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

7- स्वीकृत की जा रही परियोजना की लागत में सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कार्य के प्रगति/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स इत्यादि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के सदुपयोग प्रमाण-पत्र देना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-23/2019/387(1)/क0नि0प्र0/26-3-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- जिलाधिकारी, सन्तकबीर नगर/सिद्धार्थ नगर ।

3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, सन्तकबीर नगर/सिद्धार्थ नगर ।

4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), सन्तकबीर नगर/सिद्धार्थ नगर ।

6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्टक्शन इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 (सिडको) ।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।

8- गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।